

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 529

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2025-03162

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "अविनाश केपिटल होम्स-II", प्रमोटर-आनंद सिंघानिया,
पता-मधुबन, गीता नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"अविनाश केपिटल होम्स-II" पता-26, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.11.2025 को अनावेदक के विरुद्ध रूपये 5,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से दिनांक 28.12.2025 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन की विस्तारण तिथि 29.09.2025 से 28.09.2026 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर जारी किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही /- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	